Prospectus

प्रवेश विवरणिका

माँ जानकी देवी महाविद्यालय

पोरा, जनपद - हाथरस

सम्बद्ध - डा. बी. आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

Prospectus

परिचय

माँ जानकी देवी महाविद्यालय पोरा नगर के सुप्रसिद्ध समाजसेवी श्री जुगेन्द्र सिंह यादव एवं उनके भाई श्री चन्द्रपाल सिंह यादव एवं श्री आशाराम सिंह यादव की जनसेवा भावना एवं उत्साहक साकार स्मारक है ।

इसकी स्थापना 11 मार्च 2013 को श्री जुगेन्द्र सिंह यादव द्वारा अपनी माता जी के नाम से स्थापना करायी । जिसे 1 जुलाई 2014 को डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से बी.ए. तथा बी.एस.सी की मान्यता प्राप्त हुयी । यह महाविद्यालय पोरा नगर के दक्षिणी द्वार पर स्वच्छ और सुरम्य वातावरण में स्थित है ।

पोरा नगर से पर्यटन स्थल पटना पक्षी बिहार जाने वाले व्यक्ति इस विद्यालय के भव्य भवन की झाँकी सहज ही प्राप्त सकते हैं ।

महाविद्यालय का उद्देश्य

इस संस्था का उद्देश्य स्नातक स्तर के छात्र/छात्राओं को उनके मानसिक, शारीरिक तथा आत्मिक विकास की दृष्टि से शिक्षा प्रदान कर उनका चहुँमुखी विकास करना है । इस दृष्टि से यह विद्यालय नगर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विशेषकर पिछड़े एवं निर्बल वर्गों के छात्र/छात्राओं को शिक्षा सम्बन्धी सुविधाऐं प्रदान करता है ।

यह संस्था पूर्णत: असाम्प्रदायिक तथा धर्म निरपेक्ष है तथा इसके द्वारा जाति, धर्म आदि पर आधारित किसी प्रकार के भेदभाव के बिना समस्त ज्ञान पिपासुओं के लिए खुलें हैं । यह संस्था अपने समस्त शिक्षार्थियों से संकीर्णता एवं साम्प्रदायिकता से ऊपर उठकर स्वस्य, सुन्दर और सहयोगपूर्ण जीवन यापन करने के साथ-साथ चरित्र निर्माण तथा " सादा जीवन उच्चविचार " के महामंत्र को अपनाकर चलने की अपेक्षा करती है ।

Prospectus

द) ऐसे सभी छात्र जिन्होंने एल0एल0बी0 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, एल0एल0एम0 कक्षा छोड़कर किसी अन्य स्नातकोत्तर कक्षा में संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश पाने के अधिकारी नहीं होंगे ।

य) कला वाणिज्य संकाय के ऐसे छात्र जो किसी कक्षा में संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश ले चुके हों, परन्तु जिन्होंने सत्र के बीच में पढ़ाई छोड़ दी हो या परीक्षा में सम्मिलित न हुये हों, महाविद्यालय की किसी भी कक्षा में पुन: प्रवेश नहीं पा सकेंगे । ऐसे छात्र व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा दे सकेंगे ।

यह प्रतिबन्ध उन छात्रों पर लागू नहीं होगा, जिन्होंने संस्थागत छात्र के रूप में कोई प्रयोगात्मक विषय लिया हो पुन: उसकी कक्षा/विषय में प्रवेश चाहता हो या जिसे विश्वविद्यालय द्वारा किसी छुआछूत की बीमारी के कारण परीक्षा में बैठने से रोक दिया हो अथवा जिन्हें भूतपूर्व छात्र या व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने की सुविधा ना हों ।''

प्राचार्य को प्रवेश के मामले में डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा का विवरण पुस्तिका के अध्याय - 19 के नीचे उद्धृत-2 के अनुसार कर्तव्य और अधिकार होंगे :-

"Subject to order issued under sub-section 28 of the ct, the Principal shall be the sole authority to admit or refuse to admit any application to any class in this college. He shall however, duly and strictly, follow the norms and princiles, if any laid down by the University and such other directions as may be given to his from time to time be the University. Provided that the Principal may at his discretion refuse to admit a candidate even if he is entitled for admission according to norms and princiles laid down by the University and shall report all such cases to the admission committee forthwith."

स्पष्टीकरण : उदाहरणार्थ निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रवेश देने से इन्कार किया जा सकता है ।

1. यदि अभ्यर्थी किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता के आरोप में दोषी पाया गया है ।

2. यदि अभ्यर्थी किसी भी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध में दण्डित किया गया हो या शासन द्वारा किसी अपराध में पंजीकृत किया गया हो और न्यायालय में निर्णय के लिए विचाराधीन हो ।

5. अ) स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्हता निम्न प्रकार होगी :-

1. बी0एस0सी0 फिजीकल साइंस के लिए इण्टरमीडिएट गणित या समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण ।

2. बी0एस0सी0 लाइफ साइंस के लिए इण्टरमीडिएट बायोलॉजी ग्रुप या इण्टर कृषि परीक्षा में उत्तीर्ण ।

3. बी0एस0सी0 कृषि के लिए इण्टरमीडिएट कृषि या इण्टरमीडिएट साइंस बायोलॉजी अथवा गणित परीक्षा में उत्तीर्ण ।

4. बी0ए0/बी0कॉम के लिए इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा उत्तीर्ण ।

ब) कृषि/विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी0एस0सी0 (कृषि)/परीक्षा में उत्तीर्ण किन्तु स्नातक परीक्षा में 45% अंक तथा सम्बन्धित विषय में 50% अंक होना अनिवार्य है । किन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को 5 % की छूट अनुमन्य होगी ।

कॉलेज प्रवेश नियमावली (महाविद्यालय के प्रवेश नियम)

1. निर्धारित योग्यता वाले छात्रों के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या के अनुसार प्रवेश खुला है, किन्तु प्राचार्य बिना कोई कारण बताए किसी भी छात्र का प्रवेश अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखते हैं । कोई छात्र अपने अधिकार के रूप में प्रवेश की मांग नहीं कर सकता, चाहे वे प्रवेश के योग्य ही क्यों न हो ।
2. प्रवेश समितियों की संस्तुति पर डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों एवं योग्यता क्रमानुसार, साक्षात्कार का आयोजन कर प्रत्येक कक्षा में उपलब्ध रिक्त स्थानों की पूर्ति की जायेगी ।
3. किसी छात्र/छात्रा का प्रवेश तब पूर्ण माना जाएगा जबकि संकाय प्रभारी द्वारा उसका साक्षात्कार किया जा चुका हो तथा उनके द्वारा प्रवेश का आदेश देने के बाद उसने निर्धारित पूर्ण शुल्क व वाँछित प्रमाण पत्र जमा कर दिये हों एवं विधिवत प्रवेश सूची में उसका नाम आ गया हो । शुल्क जमा करने में कोई छूट प्रदान नहीं की जायेगी।
4. प्रवेश की पुष्टि के बाद किसी भी समय, यह मालूम होने पर कि छात्र ने कोई असत्य वक्तव्य दिया था अथवा उसके द्वारा या उसकी ओर से प्रवेश प्राप्त करने के लिए किसी अनुसूचित या छलयुक्त साधन का प्रयोग किया गया था, तो ऐसे छात्र के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा प्रवेश रद्द कर उसका नाम कॉलेज पंजिका से काट दिया जाएगा ।
5. जो छापत्र/छात्राऐं अपने परिवार माता-पिता के साथ नहीं रहते हैं उनको विश्वविद्यालय के नियमानुसार स्थानीय संरक्षक की देख रेख में रहना है ।
6. प्रवेश मिलने के बाद किसी भी समय बुलाए जाने पर माता-पिता अथवा अभिभावक प्राचार्य के समक्ष उपस्थित होंगे और यदि वह उपस्थित नहीं होते हैं तो विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है ।

Prospectus

महाविद्यालय में प्रवेश हेतु निर्देश

1. आवेदन पत्र अभ्यर्थी अपने हाथ से स्वयं सावधानी स्पष्ट रूप से भरें ।
2. आवेदन के साथ संलग्न करें -
   - क) उत्तीर्ण की गई अर्ह परीक्षाओं की अंकतालिकाओं की सत्यापित प्रतियाँ ।
   - ख) स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति ।
   - ग) चरित्र प्रमाण-पत्र की मूल प्रति ।
   - घ) अनुसूचित जाति, अनु0 जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं द्वारा जाति प्रमाण-पत्रों की छाया प्रति ।
3. साक्षात्कार के समय समस्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियाँ अपने साथ लाऐं ।
4. प्रवेश आवेदन पत्र को कार्यालय में जांच करने के पश्चात् पंजीकरण शुल्क रुपये 10/- के साथ कॉलेज में जमा करें ।
5. प्रवेश तिथि के एक सप्ताह के अन्दर शुल्क कॉलेज कार्यालय में जमा करना होगा ।

प्रवेश प्रक्रिया

1. महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक प्रत्येक छात्र/छात्रा को महाविद्यालय की विवरण पुस्तिका महाविद्यालय के कार्यालय से खरीदनी होगी जिसका मूल्य रुपये 150/- और डाक द्वारा मंगवाने पर रुपये 180/- निर्धारित है ।
2. विवरण पुस्तिका का भलीभांत अध्ययन करने उसके अन्त में लगे आवेदन पत्र को पूर्ण करके आवश्यक प्रमाण-पत्रों को संलग्न करके अनिवार्य है ।
3. अपूर्ण या निर्धारित तिथि के बाद में जमा किये गये आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।
4. प्रवेश योग्यता सूची (मैरिट) या सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही किया जायेगा ।
5. विषयों का चयन करने से पूर्व छात्र विवरणिका का भलीभाँति अध्ययन करें ।
6. किसी भी छात्र/छात्रा को प्रवेश देने से अस्वीकार करना महाविद्यालय को पूर्ण अधिकार होगा ।
7. आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई है ।

डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

प्रवेश समिति की बैठक द्वारा अनुमोदित

प्रवेश नियमावली

यह नियम विश्वविद्यालय अधिनियम परिनियम तथा अध्यादेशों के अधीन ही मान्य होंगे तथा विश्वविद्यालयों में कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि तथा विधि (एल0एल0बी0 प्रथम वर्ष एवं एल0एल0एम0 प्रथम वर्ष) संकायों की कक्षाओं में प्रवेश के लिए लागू होंगे । प्रवेश उन्हीं पाठ्यक्रमों/विषयों में दिया जायेगा जिनकी सम्बद्धता महामहिम कुलाधिपति महोदय अथवा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ से प्राप्त है और उनका प्रावधान विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में विद्यमान है तथा मा0 कुलपति महोदय से प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली गई है ।

अध्ययन हेतु पाठ्यक्रम

बी.ए. प्रथम वर्ष के लिए पाठ्यक्रम :-

त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के बी.ए. (प्रथम वर्ष) में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं को निम्नलिखित विषयों का अध्ययन करना होगा।

(1) अनिवार्य विषय :-

अ) पर्यावरण अध्ययन (E.S.) ब) राष्ट्र गौरव (R.G.)

उक्त आधार पाठ्यक्रम के दोनों विषयों के प्रश्न पत्र अनिवार्य है जो 50-50 अंको के होंगे । इसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । लेकिन इसके प्राप्तांक उत्तीर्ण श्रेणी हेतु जोड़े नहीं जाते हैं ।

(2) केवल किसी एक विषय का चयन अनिवार्य है :-

प्रत्येक विद्यार्थी को निम्नलिखित विषयों में से एक का चयन करना अनिवार्य रूप से करना होगा ।

1. हिन्दी भाषा (Hindi Language)
2. सामान्य अंग्रेजी (General English)

(3) ऐच्छिक विषय (कोई तीन) :-

1. हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य
2. राजनिति विज्ञान
3. शिक्षा शास्त्र
4. समाज शास्त्र
5. इतिहास
6. गृह विज्ञान

बी.ए. द्वितीय वर्ष के छात्र/छात्रा आधार पाठ्यक्रम को छोड़कर शेष उन्हीं विषयों का अध्ययन करेंगे, जिनका उन्होंने प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में अध्ययन किया है ।

विषय परिवर्तन :-

सामान्यत: प्रवेश पूर्ण हो जाने के उपरान्त विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाती है । परन्तु विशेष परिस्थितियों में यदि कोई छात्र/छात्रा को विषय परिवर्तन की सुविधा प्रदान कर दी जाती है तो उसका यह दायित्व होगा कि वह परिवर्तित विषय में नाम लिखाने से पूर्व पिछले विषय से सम्बन्धित प्रवक्ता/प्रवक्ताओं को परिवर्तित विषय की लिखित सूचना प्रदान करें । अक्टूबर मास के उपरान्त कोई भी विषय परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा ।

विज्ञान संकाय (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम)

बी. एस. सी. (पाठ्यक्रम)

(प्रथम वर्ष)

(1) अनिवार्य विषय :-

अ) पर्यावरण अध्ययन (E.S.)

ब) राष्ट्र गौरव (R.S.)

उक्त आधार पाठ्यक्रम के दोनों विषयों के प्रश्न पत्र अनिवार्य है तो 50-50 अंको के होंगे । इसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । लेकिन इसके प्राप्तांक उत्तीर्णता श्रेणी हेतु जोड़े नहीं जाते हैं ।

(2) ऐच्छित विषय :-

निम्नलिखित वर्ग (Group) में से किसी एक वर्ग को चुनना होगा ।

विद्यार्थी चयनित वर्ग को वरीयता क्रम में आवेदन में लिखें ।

वर्ग-1. भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित (PCM) वर्ग-2. जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान (ZBC)

7. छात्र/छात्राऐं कॉलेज में अनुशासनहीनता या परीक्षाओं में नकल या दुर्व्यवहार के दोषी या जिन पर अनुचित साधन प्रयोग करने वाले छात्रों को भी प्रविष्ट नहीं किया जायेगा निर्धारित काउन्टर के अतिरिक्त किसी भी प्राध्यापक/लिपिक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को किसी भी प्रकार के अपना काम कराने हेतु धनराशि नहीं देगें । यदि देंगे मतो स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा सम्बन्धित विद्यार्थी के विरूद्ध कार्यवाही होगी । सम्बन्धित विद्यार्थी (ब्लैक लिस्ट) में स्थान प्राप्त करेगा । महाविद्यालय काउन्टर से प्राप्त रसीद ही मान्य होगी ।

विशेष :-

1. जो छात्र या छात्रा गत वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए होंगे उन्हें (संस्थागत) छात्र के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. विश्वविद्यालय के किसी परीक्षा केन्द्र पर अनुचित साधन प्रयोग के दोषी छात्र/छात्राओं का प्रवेश नहीं हो सकेगा ।
3. अनुशासनहीन अपराधी तथा ब्लैकलिस्टेड छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा ।
4. शैक्षणिक वर्षों में 2 वर्ष से अधिक अन्तराल वाले विद्यार्थियों पर प्रवेश के लिए विचार नहीं किया जायेगा ।
5. प्रवेश फार्म पर कम से कम किन्हीं दो प्रवेश अधिकारियों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य हैं ।
6. प्रवेश फार्म पर छात्र/छात्राऐं संकाय प्रभारी के हस्ताक्षर करायें तभी प्रवेश पूर्णत: मान्य होगा ।

प्रवेश प्रक्रिया

आवेदन पत्र :- प्रवेशार्थियों को विवरणिका में संलग्न आवेदन पत्र पूर्णत: भरकर सभी निर्धारित स्थानों पर अपना फोटो लगाकर कार्यालय में जमा करें, उसका पंजीकरण निर्धारित तिथि के अन्तर्गत करना होगा । उस आवेदन पर विचार नहीं किया जाऐगा, जो अपूर्ण होगा ।

आवेदन पत्र संलग्नक :-

1. मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (अन्तिम विद्यालय का)
2. माइग्रेशन प्रमाण पत्र (केवल उन विद्यार्थियों के लिए जो किसी अन्य विश्वविद्यालय से आये हैं ।)
3. चरित्र प्रमाण-पत्र (विगत संस्था के प्राचार्य द्वारा प्रदत्त)
4. अंक पत्र (हाईस्कूल से लेकर प्रवेशार्हता तक)
5. जाति एवं आय प्रमाण-पत्र (अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग सम्बन्धी)
6. विशेष योग्यता प्रमाण-पत्र (यदि कोई हो तो)
7. सच्चरित प्रमाण-पत्र (व्यक्तिगत परीक्षा उत्तीर्णकर्ता राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें जिसमें जन्म तिथि का उल्लेख हो)

साक्षात्कार :- प्रवेश प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है अत: समस्त प्रथम वर्ष के प्रवेशार्थियों का प्रथम साक्षात्कार प्रवेश अधिकारियों के समक्ष होगा।

1. प्रवेश समिति के द्वारा ।
2. मुख्य नियन्ता द्वारा ।
3. संकाय प्रभारियों की संयुक्त बैठक में अन्तिम रूप से प्रवेश स्वीकृति के लिए जो विद्यार्थी निर्धारित दिनांक को साक्षात्कार नहीं देंगे, उन पर प्रवेश समिति सबसे अन्त में विचार करेगी ।

चयन एवं शुल्क :- संकाय प्रभारियों द्वारा साक्षात्कार के बाद चयनित विद्यार्थी को सात दिन के अन्दर कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा करना होगा, तभी प्रवेश पूर्ण माना जायेगा । **नोट :- शुल्क की वापसी किसी भी स्थिति में नहीं होगी ।**

परिचय पत्र की प्राप्ति :- प्रवेश पूर्ण होने पर विद्यार्थी मुख्य नियन्ता कार्यालय में अपना फोटो देकर नियमानुसार परिचय पत्र प्राप्त करेगा ।

कॉलेज प्रवेश संस्था :- फीस जामा करने के प्रवेशक्रम के अनुसार विद्यार्थी को महाविद्यालय का प्रवेशांक प्रदान किया जाएगा जो उसकी फीस रसीद पर अंकित होगा । विद्यार्थी इस प्रवेश संख्या को अपने सम्बन्धी अपुवर्ती आवेदनों में उद्धृत करेगा ।

अनुभाग निर्धारण :- फीस जामा करने के बाद अनुभाग निर्धारण अधिकारी विद्यार्थी का अनुभाग निर्धारण करेंगे और वह उसी कक्षा में बैठेगा जो अनुभाग निर्धारण अधिकारी के स्वहस्ताक्षर से निर्धारित किया है ।

उपस्थिति पंजिका में नामांकन :- अनुभाग निर्धारण पत्रांक दिखाने के बाद विद्यार्थी संबन्धित शिक्षकों को उपस्थिति पंजिका में नाम अंकित कराऐगा । प्रवेश तभी पूर्ण माना जाऐगा । जब निर्धारित प्रक्रिया का अनुशरण करते हुए शुल्क जमा हो जाए ।

आज्ञा से प्राचार्य :- माँ जानकी देवी महाविद्यालय, पोरा

उपस्थिति : विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रत्येक विषय व प्रयोगात्मक कार्य में न्यूनतम 75% उपस्थिति न होने पर विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है । इस संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त आदेश प्रभावी होगा । प्रयोगात्मक कार्य में उपस्थिति के आधार पर ही परीक्षा में आंकलन किया जायेगा ।

छात्रवृत्ति : अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्ग के सभी एवं सामान्य वर्ग के योग्य छात्र एवं छात्राओं को शासन द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है । ऐसे छात्र एवं छात्राऐं छात्रवृत्ति का आवेदन पत्र भरने से पूर्व ग्रामीण बैंक ऑफ आयविर्त, पोरा में अपना बचत खाना खोल लें और उस खाते की एक छात्रया प्रति छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में संलग्न कर दें ।

Prospectus

सामान्य निर्देश

1. अ) प्रत्येक विश्वविद्यालय अपना विवरण ''प्रोस्पेक्ट्स'' तैयार करायेगा, जिनमें प्रवेश नियमों, निर्धारित शुल्क तथा महाविद्यालय सम्बन्धी आवश्यक सूचनाओं का विवरण होगा । आवेदन-पत्र एवं अन्य प्रपत्र भी इस पुस्तिका में संलग्न होंगे । सभी कक्षाओं की एक ही विवरण पुस्तिका होगी । सभी पाठ्यक्रम इस पुस्तिका में सम्मिलित किये जायेगें ।

ब) विवरण पुस्तिका में प्रत्येक कक्षा में निर्धारित सामान्य व आरक्षित सीटों का विरण प्रकाशित करना अनिवार्य होगा । प्रत्येक कक्षा में 21% स्थान अनुसूचित जातियों , 27% स्थान पिछड़ी जातियों, 2% अनुसूचित जन जातियों तथा 3% विकलांगों के लिए (छात्र के स्वयं से सम्बन्धित वर्ग के अन्तर्गत ही) आरक्षित होंगे । विकलांगों के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा ।

स) सम्बन्धित महाविद्यालयों में विवरण पुस्तिका का रुपये 150/- नकद तथा पंजीकृत डाक द्वारा रुपये 180/- लिया जायेगा ।

द) प्रत्येक महाविद्यालय को अपने महाविद्यालय की वेवसाइट तैयार करना अनिवार्य होगा जिस पर इच्छुक छात्रों को विवरण पुस्तिका उपलब्ध हराया जाना सुनिश्चित किया जाये । विवरण पुस्तिका में विश्वविद्यालय की वेवसाइट तथा महाविद्यालय की वेवसाइट का उल्लेख करना आवश्यक होगा ।

2. अ) कला विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों की स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष के ''त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम'' तथा कृषि संकाय की स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष ''चतुर्थ वर्षीय पाठ्यक्रम में, ही प्रवेश दिये जायेगें यदि छात्र अन्य किसी वर्ष में उक्त पाठ्यक्रमों के किसी विषय में प्रवेश लेना चाहे तो पत्राचार पाठ्यक्रम में, केवल उन विषयों में जिसमें पत्राचार पाठ्यक्रम उपलब्ध हो, प्रवेश ले सकते हैं ।''

ब) महाविद्यालयों में ''प्रथम वर्ष'' के प्रवेश हेतु अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्होंने स्नातक परीक्षा में 45 % अंक प्राप्त किये जायेगें । एल0एल0बी ''प्रथम वर्ष'' के प्रवेश हेतु अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्होंने स्नातक परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं । पंचवर्षीय एल0एल0बी पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु 10+2 होगी, जिनमें 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है । अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए 5 प्रतिशत अंक की छूट होगी । निर्धारित मानकों के आधार पर श्रेणियों के लिए पृथक-पृथक योग्यता सूची बनाई जायेगी । ऐसी सूची में 30 % अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित छात्र भी होंगे, जिनको योग्यताक्रमानुसार प्रवेश दिये जायेंगे ।

किन्तु प्रवेश आरक्षण सम्बन्धी शासनादेश संख्या 2638/19-94-15/66/89 दिनांक 30.07.1994 में उल्लेखित प्रावधानों का पालन भी अब सुनिश्चित करना होगा ।

स) सभी संकायों की स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष के लिए आवेदन-पत्रों के पंजीकरण की अन्तिम तिथि 20 जुलाई होगी तथा शुल्क आदि जमा करने प्रवेश प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 25 जुलाई होगी । किसी भी परिस्थिति में प्रवेश 16 अगस्त के पश्चात् नहीं होगा । अभ्यर्थी परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिन तक प्रवेश ले सकेंगे । यदि कक्षा में स्थान उपलब्ध हो ।

महाविद्यालय के खुलने की तिथि - 15 जुलाई

स्नातक प्रथम वर्ष प्रवेश हेतु पंजीकरण के अन्तिम तिथि - 10 जुलाई

स्नातक स्तर पर द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष -

तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के उत्तरार्द्ध की कक्षाऐं प्रारम्भ करने की तिथि - 21 जुलाई

प्रथम वर्ष के लिए शुल्क जमा करने के पश्चात् प्रवेश की अन्तिम तिथि - 30 जुलाई

प्रथम वर्ष की कक्षायें प्रारम्भ होनें की तिथि - 1 अगस्त

3. अ) प्रवेश सूची मय योग्यता अंक सहित कॉलेज सूचना पट (नोटिस बोर्ड) पर लगा दी जायेगी । छात्र तद्नुसार प्रवेश लें ।

ब) महाविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सम्बन्धित पिछले वर्ष की कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रवेश मिलेगा, यदि उनका प्रवेश किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित न हों ।

4. अ) स्नातकोत्तर उपाधि के धारक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त किसी अन्य विषय से स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश नहीं ले सकेंगे ।

ब) किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र पुन: संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश हेतु वर्जित रहेंगे ये छात्र भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे ।

स) यदि छात्र किसी पाठ्यक्रम (व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) में प्रवेश के इच्छुक हैं और उसकी परीक्षा में अन्तराल है तो ऐसी दशा में प्राचार्य को यह अधिकार होगा कि वह अधिकतम 2 वर्ष के अन्तराल के प्रवेश हेतु विचार कर सकता है । अन्तराल नियमित पाठ्यक्रम तक का ही विचारणीय होगा ।

माँ जानकी देवी महाविद्यालय
पोरा (हाथरस)
विद्या ददाति विनयं

माँ जानकी देवी महाविद्यालय

9456262022
9058360019